***माननीय ए. एल. बहरी, वी. के. बाली, जे जे के समक्ष***

.

**हिंदुस्तान वायर्स लिमिटेड-याचिकाकर्ता,**

***बनाम***

**पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण और एक *और उत्तरदाता***

***1991 की सिविल रिट* याचिका *संख्या* 17685।**

**22 अप्रैल, 1992।**

*भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946-घरेलू जांच-प्रबंधन कानून स्नातकों द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी और पीठासीन अधिकारी दोनों-कर्मचारी को अधिवक्ता की सहायता से इनकार किया गया-न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि कर्मचारी को कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी गई थी।*

*अभिनिर्धारित* किया गया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से उचित था कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में श्रमिक को निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी गई थी, जब प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और साथ ही जांच अधिकारी दोनों कानून स्नातक थे, और कर्मचारी को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता की सहायता से वंचित कर दिया गया था।

(पैरा 5)

प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करें:-

**प्रार्थना**

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका:*

*a) उत्प्रेषण की रिट या कोई उचित रिट आदेश या निर्देश जारी कर रिकॉर्ड की मांग करना, जिसके कारण जांच इस एकमात्र आधार पर खराब हो गई कि दोषी कामगार को किसी बाहरी व्यक्ति या किसी अन्य*

*व्यक्ति द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी गई थी। कानूनी व्यवसायी और वर्तमान याचिका में की गई दलीलों पर विचार करने पर इसे रद्द कर दिया जाए;*

b) *विद्वत न्यायाधिकरण के आदेश (अनुलग्नक 'पी-1') को रद्द किया जाए और विद्वत न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए "परमादेश" या किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक उचित रिट जारी करें। याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठान के प्रमाणित स्थायी आदेशों के स्थायी आदेश 19 और साथ ही विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं में प्रतिपादित कानून; वर्तमान याचिका के ग्राउंड 'एच' में संबंधित अंशों का उल्लेख किया गया है;*

c) *प्रतिषिद्ध आदेश (अनुलग्नक पी-1) के अनुसरण में और उसे आगे बढ़ाने के लिए कदम न उठाने के लिए प्रतिवादी से आह्वान करते हुए निषेध की एक रिट या कोई* अन्य उपयुक्त आदेश निर्देश जारी करना;

d) *विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाएं (अनुलग्नक 'पी-1');*

*e) याचिकाकर्ता को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित अन्य सभी आवश्यक और परिणामी राहत प्रदान करने के लिए कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें; और*

*f) याचिकाकर्ता को लागत।*

*और इसके लिए आपका याचिकाकर्ता कर्तव्यबद्ध होने के नाते हमेशा प्रार्थना करेगा।*

कोई *नहीं, याचिकाकर्ता के लिए।*

राजेश्वर सिंह व्यक्तिगत रूप *से, प्रतिवादी के लिए।*

## आदेश

(1) इस मामले में जो छोटा सवाल उठता है वह यह है कि क्या एक कर्मचारी के खिलाफ घरेलू जांच में, क्या वह अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता की सहायता ले सकता है, जब प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ-साथ प्रबंधन द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी कानून स्नातक थे।

(2) राजेश्वर सिंह ने एक औद्योगिक विवाद उठाया जिसे श्रम न्यायालय को भेजा गया।यह निम्नानुसार हैः—

"क्या श्री राजेश्वर सिंह की सेवाओं की समाप्ति उचित और क्रमबद्ध थी? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?",

यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी की सेवाओं को जांच रिपोर्ट के आधार पर वितरित किया गया था।औद्योगिक न्यायाधिकरण, फ़रीदाबाद ने अपने दिनांक 17 मई, 1991 के फैसले के तहत माना कि घरेलू जांच में कामगार के उचित प्रतिनिधित्व से इनकार के कारण जांच ख़राब हो गई थी। इस अवॉर्ड को मेसर्स हिंदुस्तान वायर लिमिटेड, फरीदाबाद के प्रबंधन द्वारा चुनौती दी गई है। प्रबंधन का रुख औद्योगिक *नियोजन* (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (इसके बाद 'स्थायी आदेश' के रूप में संदर्भित) पर आधारित है। स्थायी आदेशों का धारा 19, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा निर्भरता रखी गई है, निम्नानुसार हैः—

"19. *प्रमुख अपराधों से निपटने की प्रक्रियाः*

*(क) जिस कर्मचारी के खिलाफ एक बड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है, उसे कथित कदाचार का विवरण देते हुए एक आरोप-पत्र दिया जाएगा, जिसमें उसे 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।यदि कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी की उपस्थिति में आरोप-पत्र प्रतिग्रहण करना करने से इनकार करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि यह उसे दिया गया था।स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर, यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो मामला बंद कर दिया जाएगा, और यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो प्राकृतिक कानून के अनुसार एक नियमित घरेलू जांच की जाएगी।प्रबंधक द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या बाहरी व्यक्ति द्वारा न्यायाधीश।बशर्ते कि प्रबंधक स्वयं भी जाँच करने में सक्षम होगा।( पूछताछ अधिकारी के सामने अपना बचाव करते समय कर्मचारी का प्रतिनिधित्व कोई भी सह-कर्मचारी कर सकता है।-. वह अपनी पसंद का होगा लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा से प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं होगा जो प्रतिष्ठान का कर्मचारी नहीं है) ।यदि कर्मचारी जाँच में भाग लेने के लिए जाँच अधिकारी के सामने उचित स्थान पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो उसे एकपक्षीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।"*

प्रबंधन का मामला यह है कि उपरोक्त स्थायी आदेश के मद्देनजर, कर्मचारियों पर घरेलू पूछताछ में ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं लेने पर प्रतिबंध था जो प्रतिष्ठान का कर्मचारी नहीं था। चूंकि एक वकील, जिसकी सहायता से इनकार कर दिया गया था, जैसा कि श्रम न्यायालय ने माना था, वह प्रतिष्ठान का कर्मचारी नहीं था, इसलिए उस कारण से जांच की कार्यवाही ख़राब नहीं हुई थी।

(3) कर्मचारी द्वारा लिखित बयान में प्रबंधन के रुख का खंडन किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि जब जांच अधिकारी और प्रस्तुतीकरण अधिकारी कानून स्नातक थे, तो कर्मचारी वैध रूप से कानून स्नातक की सहायता मांग सकता था, यानी , यानी एक अधिवक्ता की सहायता मांग सकता था।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्ताव सुनवाई के चरण में *मैसर्स डर्बी टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम महामंत्री, डर्बी टेक्सटाइल्स कर्मचारी और श्रमिक संघ, जोधपुर* (1) उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय की फोटोस्टेट प्रति रिट याचिका के साथ संलग्न की गई थी। हमने उपरोक्त निर्णय का अवलोकन किया है, विशेष रूप से पृष्ठ 17 में एक अंश, जिसका संदर्भ आवश्यक माना जाता है।यह निम्नानुसार हैः—

> "हमने श्री मोहन पुनमिया की इन दलीलों पर विचार किया है और जहां तक इस मामले का संबंध है, हम उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हैं। *श्री सी. एल. सुब्रमण्यम ए.आई.आर 1975 एस. सी. 2178 के मामले में,* सरकार को एक कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्ड्स के अनुसार यह महसूस किया गया था कि किसी सरकारी कर्मचारी को कानूनी व्यवसायी को नियुक्त करने की अनुमति देने से इनकार करना कर्मचारी को उचित *अवसर* से *वंचित करने* के बराबर होगा। इसी तरह, *न्यासी बोर्ड मामले (सुप्रा)* में भी यह आयोजित किया गया है

(1) 1991 (68) एफ. एल. आर. 166

यदि नियम किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं और अभियोजन और प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के पास कानूनी दिमाग है तो अपचारी अधिकारी को कानूनी व्यक्ति की सहायता से इनकार करना उसके मामले का बचाव करने के लिए उचित अवसर से इनकार करने के बराबर होगा, जो प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों के खिलाफ होगा।यहाँ, इस मामले में, स्थायी आदेशों ने स्पष्ट रूप से एक कानूनी व्यवसायी की कोई भी सहायता लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।"

(5) हमने ऊपर पुनः प्रस्तुत टिप्पणियों पर उचित विचार किया है, लेकिन हमारी राय है कि प्रबंधन इससे कोई लाभ नहीं ले सकता है।यदि स्थायी आदेश संख्या 19 को बारीकी से पढ़ा जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी के कर्मचारी को सहायता देने के लिए है।आम तौर पर एक कर्मचारी के खिलाफ घरेलू जांच में उसे एक सह-कर्मचारी की सहायता लेनी होती थी।अधिवक्ता अपने आप में एक वर्ग बनाते हैं और यह केवल तभी होता है जब जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, हालांकि वे प्रबंधन के कर्मचारी हो सकते हैं, को उस कर्मचारी के खिलाफ घरेलू जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो कानूनी प्रक्रियाओं से पूरी तरह से परिचित नहीं है, सवाल यह उठता है कि इस तरह की जांच में कर्मचारी को अपना बचाव करने का उचित अवसर कैसे दिया जाए।यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रतिष्ठानों में कानून स्नातक कार्यरत हों ताकि एक कर्मचारी ऐसे कर्मचारियों की सहायता मांग सके, ताकि उपरोक्त स्थायी आदेशों की शर्तों का पालन किया जा सके।यह देखा गया है कि आमतौर पर प्रबंधन कानूनी ज्ञान रखने वाले बहुत कम व्यक्तियों या कानून स्नातक व्यक्तियों की भर्ती करता है।ऐसे व्यक्तियों को घरेलू पूछताछ करने और ऐसी पूछताछ में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने स्वयं के लाभ के लिए नियुक्त किया जाता है। यह ऐसी परिस्थितियों में होता है कि जब एक कर्मचारी को ऐसे प्रबंधन और ऐसे प्रस्तुतिकरण अधिकारियों और जांच अधिकारियों के खिलाफ खड़ा किया जाता है जिनके पास विशेष कानूनी ज्ञान होता है, तो उसे बराबर किया जाना चाहिए ताकि उसे उचित न्याय मिल सके और उसे वहन किया जाना चाहिए एक वकील की सहायता. (औद्योगिक

न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से उचित था कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कर्मचारी को निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी गई थी, जब प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और साथ ही जांच अधिकारी दोनों कानून स्नातक थे, और कर्मचारी को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता की सहायता से वंचित कर दिया गया था)।

(6) रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, उसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, जिसकी मात्रा रु 1, 000 है ।

*जे एस टी।*

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**आशिमा गर्ग**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**(Trainee Judicial Officer)**

**गुरूग्राम,हरियाणा**